# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 99/2024 (जीसीएमएस सं 2024/282)

**वादीनीः—**

श्रीमती तारा चौधरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रावताराम, जाति जाट, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नं. 240 ए, कृष्णा मंदिर के पास, तीसरी गली, भगत की कोठी, जोधपुर।

**बनाम**

**प्रतिवादीगणः—**

1. ओमप्रकाश पुत्र गोरधनराम,
2. श्रीमती रामप्यारी उर्फ बाउडीदेवी पत्नी गोरधनराम,
3. संतोष पुत्री गोरधनराम, मृतक श्यामलाल पुत्र गोरधनराम के उत्तराधिकारी
4. श्रीमती विमला पत्नी श्यामलाल,
5. निशांत पुत्र श्यामलाल, (अपंग नाबालिग)
6. कुमारी निशा पुत्री श्यामलाल, (नाबालिग)
7. कुमारी कुसुम पुत्री श्यामलाल, (नाबालिग)

   प्रतिवादी संख्या 5 से 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती विमला पत्नी श्यामलाल।

   प्रतिवादी संख्या 1 से 8 जातियान जाट, निवासीगण ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
8. श्रीमती मीरादेवी पत्नी गोपाराम जाट, जाति जाट, निवासी करवालीढाणी, ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
9. राकेश कुमार पुत्र चन्द्राराम गोदारा, जाति जाट, जाति जाट, निवासी करवालीढाणी, ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
10. श्रीमती मंजु पत्नी मुकेश कुमार, निवासी ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
11. खेमाराम पुत्र पाबूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
12. श्रीमती कोयल पत्नी स्व. सुजाराम,
13. श्रीमती कौशल्या पुत्री स्व. सुजाराम,
14. श्रीमती विमला पुत्री स्व. सुजाराम,
15. श्रीमती शोभा पुत्री स्व. सुजाराम,
16. श्रीमती मैना पुत्री स्व. सुजाराम,

    प्रतिवादी संख्या 12 से 16 जातियान जाट, निवासी ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

17. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

**वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थितिः— निर्णय दिनांकः— 6/3/26

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से अधिवक्ता श्री बाबुराम विश्नोई।
3. शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही ।

वादी की और से एक वाद बाबत् बंटवाडा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 147 रकबा 18.15 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 18.06 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 14.19 बीघा, खसरा नंबर 568 रकबा 20.13 बीघा, खसरा नंबर 569 रकबा 22.18 बीघा कुल खसरान 5 कुल रकबा 95.11 बीघा भूमि राजस्व ग्राम करवाली ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई है। राजस्व ग्राम करवाली ढाणी, पटवार हल्का सालवा कलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर की जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 लगातार में इन्द्राज खाता संख्या नया 120 पुराना 112 में दर्ज कृषि भूमि खसरा नंबर 147 रकबा 18.15 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 18.06 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 14.19 बीघा, खसरा नंबर 568 रकबा 20.13 बीघा, खसरा नंबर 569 रकबा 22.18 बीघा कुल खसरान 5 कुल रकबा 95.11 बीघा भूमि लगान 46.12 रूपये आयी हुई है। खसरा नंबर 568 व 569 में से वादीनी ने अपना 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 खेमाराम को बेचान कर दिया है और खसरा नंबर 147 रकबा 18.15 बीधा, खसरा नंबर 148 रकबा 18.06 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 14.19 बीघा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 52 बीघा भूमि में वादीनी का 1/3 हक हिस्सा है। वादीनी खसरा नंबर 147, 148 व 149 में अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है व वादीनी अपना हिस्से का खाता अलग करवाने की अधिकारणी है इसलिए वादीनी की ओर से यह वाद बाबत बंटवाडा का पेश है। वादीनी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। वाद दर्ज रजिस्टिर होकर बाद सुनवाई दिनांक 04.07.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है कि राजस्व ग्राम करवाली ढाणी, पटवार हल्का सालवा कला तहसील जोधपुर के खसरा नं. 147, 148 व 149 में वादीनी का 1/3 हिस्सा इन्द्राज और राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भी वादीनी का 1/3 हिस्सा इन्द्राज है। जमाबन्दी की प्रविष्टि के सही होने की उपधारणा धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे है बंटवाडे की प्राथमिक डिकी पारित की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजस्व ग्राम करवाली ढाणी मे खसरा नंबर 147, 148 व 149 भूमि मे वादीनी का 1/3 हिस्सा इन्द्राज है। भूमि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज एंव मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के अलग किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग अलग बट्टे कायम कर वादी एंव प्रतिवादीगण की भूमि के राजस्व नक्शे मे अलग से तरमीम किया जावे।

प्राथमिक डिकी की पालना मे तहसीलदार जोधपुर से बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत हेतू तहरीर जारी की गई। प्राथमिक डिकी की पालना मे तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/8933 दिनांक 15.10.2025 को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया। जो न्यायालय मे दिनांक 16.10.2025 को प्रस्तुत हुई है। पत्र के साथ मे अलावा भू

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख निरीक्षक दईकडा द्वारा दिनांक 03.10.2025 को बंटवाडा प्रस्ताव के सम्बन्ध मे पक्षकारो की रजामन्दी लेने की रिपोर्ट प्रेषित की गई है। रिपोर्ट में उल्लेख किया कि खसरे 147, 148, 149 का विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर वादी एवम प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे तैयार किया। जिस विभाजन प्रस्ताव पर वादी तारा चौधरी एवम् प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र गोरधनराम, सन्तोष देवी पुत्री गोरधनराम बाउडी पत्नी गोरधनराम, विमला पत्नि श्यामलाल, पूत्र गोरधनराम यह सभी सहमत है। एवम सहमति पर हस्ताक्षर किये है। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण कौशल्या, मेनादेवी, विमला, शोभा, पुत्रीया सुजाराम, कोयली पत्नि सुजाराम, सहमत नहीं हुए है जबकि जहाँ इनका कब्जा काश्त है एवम् जहाँ कोयली पत्नि सुजाराम की ढाणी बनी हुई है वो हिस्सा इनके हिस्से मे रखा गया है।

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह पाया गया कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 4 विमला, प्रतिवादी संख्या 2 बाउडी, प्रतिवादी संख्या 3 संतोष ने सहमति के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये है। शेष प्रतिवादीगण ने वादपत्र एवम् बंटवाडा का न्यायालय मे विरोध नहीं किया। और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे है। विभाजन प्रस्ताव मे तहसीलदार जोधपुर द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया है जिसमे रास्ता इत्यादि छोड कर माफिक प्राथमिक डिकी हिस्सा अनुसार बंटवाडा किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ओमप्रकाश वगैरा के बंट मे खसरा नंबर 147, रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 148 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, कुल रकबा 17 बीघा, वादीनी तारा चौधरी के बंट मे खसरा नंबर 147/1 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 148/3 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 149/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 श्रीमति कोयल वगैराह के बंट मे खसरा नंबर 148/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 149 मे रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा इन खेतो मे आवागमन हेतू बंटवाडा प्रस्ताव में संयुक्त रूप से छोडे गये रास्ते का खसरा नं. 148/2 रकबा 7 बिस्वा खसरा नं. 149/1 रकबा 13 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा है। विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत विभाजन को स्वीकार करने पर किसी भी पक्षकार ने आपत्ति व उजर नहीं किया है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.10.2025 अनुसार अन्तिम बंटवाडा की डिकी जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष की मांग की गई है। वादीनी के बंट में खसरा नं. 147/1 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 148/3 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 149/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 17 बीघा आई है जिस पर वादीनी काबिज है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे न अन्य के जरिए करावें। अन्तिम डिकी के अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमाएं कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है। बंटवाडा की अंतिम डिकी पारित की जाती है।

(प्रीतम कुमार)IAS
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

निर्णय आज दिनांक 6/3/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार)IAS
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

*डिगरी बमुकदमें इब्तदाई*
*(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)*

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर मुकाम जोधपुर व इजलास प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)

**वादीनी:–**

श्रीमती तारा चौधरी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रावताराम, जाति जाट, उम्र 53 वर्ष, निवासी मकान नं. 240 ए, कृष्णा मंदिर के पास, तीसरी गली, भगत की कोठी, जोधपुर।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण:–**

1. ओमप्रकाश पुत्र गोरधनराम,
2. श्रीमती रामप्यारी उर्फ बाउडीदेवी पत्नी गोरधनराम,
3. संतोष पुत्री गोरधनराम, मृतक श्यामलाल पुत्र गोरधनराम के उत्तराधिकारी
4. श्रीमती विमला पत्नी श्यामलाल,
5. निशांत पुत्र श्यामलाल, (अपंग नाबालिग)
6. कुमारी निशा पुत्री श्यामलाल, (नाबालिग)
7. कुमारी कुसुम पुत्री श्यामलाल, (नाबालिग)

   प्रतिवादी संख्या 5 से 7 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती विमला पत्नी श्यामलाल।

   प्रतिवादी संख्या 1 से 8 जातियान जाट, निवासीगण ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
8. श्रीमती मीरादेवी पत्नी गोपाराम जाट, जाति जाट, निवासी करवालीढाणी, ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
9. राकेश कुमार पुत्र चन्द्राराम गोदारा, जाति जाट, जाति जाट, निवासी करवालीढाणी, ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
10. श्रीमती मंजु पत्नी मुकेश कुमार, निवासी ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
11. खेमाराम पुत्र पाबूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सालवा कलां, तहसील व जिला जोधपुर।
12. श्रीमती कोयल पत्नी स्व. सुजाराम,
13. श्रीमती कौशल्या पुत्री स्व. सुजाराम,
14. श्रीमती विमला पुत्री स्व. सुजाराम,
15. श्रीमती शोभा पुत्री स्व. सुजाराम,
16. श्रीमती मैना पुत्री स्व. सुजाराम,

    प्रतिवादी संख्या 12 से 16 जातियान जाट, निवासी ग्राम सालवा कलां, तहसील व

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

जिला जोधपुर।

17. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

दावा बाबत् 53, 188 आर.टी.एक्ट.में मुकदमा नम्बर 99/2024 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर अधिवक्ता श्री बाबुराम विश्नोई एवं शेष प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हाजरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

राजस्व ग्राम करवाली ढाणी , पटवार हल्का सालवा कलां तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 147, 148 व 149 में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ओमप्रकाश वगैराह के बंट में खसरा नंबर 147, रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 148 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, कुल रकबा 17 बीघा, वादीनी तारा चौधरी के बंट मे खसरा नंबर 147/1 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 148/3 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 149/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 श्रीमति कोयल वगैराह के बंट मे खसरा नंबर 148/1 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 149 मे रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 17 बीघा इन खेतो मे आवागमन हेतू बंटवाडा प्रस्ताव में संयुक्त रूप से छोडे गये रास्ते का खसरा नं. 148/2 रकबा 7 बिस्वा खसरा नं. 149/1 रकबा 13 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा है। विभाजन प्रस्ताव इस डिक्री का अभिन्न अंग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी की भूमि खसरा संख्या 147/1 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 148/3 रकबा 6 बीघा, खसरा संख्या 149/2 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 17 बीघा में प्रतिवादीगण वादीनी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करेगें। मौके पर माफिक डिक्री सीमात कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने की आज्ञा तहसीलदार जोधपुर को दी जाती है।

लीज....X......मुबलिक...... X .....बाबत्..... X ....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह......... X की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......ग........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 6/3/26.......... को जारी की गई।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

| मुदाई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प जारी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अरजी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनताना वकिल | | |
| खर्चा अह्वान् | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| मतफरिक | | | मतफरिक | | |

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)